न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—256/2016/223 (2016/00256)

1. श्रीमती सोहनी पुत्री स्व0 तिलोक पत्नि रामलाल, जाति रेगर, निवासी जमालपुरा, फतहपुरिया स्कूल के पास, ब्यावर, तह. ब्यावर, जिला अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. चुन्नीलाल पुत्र स्व0 तिलोक, जाति रेगर, नि0 ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. उदाराम पुत्र तिलोक, जाति रेगर, नि0 ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान, तहसील ब्यावर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती रामीदेवी पत्नि स्व0 उदाराम,
   2/2— घेवरचन्द पुत्र स्व0 उदाराम,
   2/3— शांतिलाल पुत्र स्व0 उदाराम,
   2/4— श्रीमती रेखा पत्नि स्व0 दीपचंद पुत्री स्व0 उदाराम,
   2/5— लक्ष्मी पुत्री स्व0 दीपचंद उम्र 10 साल,
   2/6— हेमंत पुत्र स्व0 दीपचंद, उम्र 8 साल,
   रेस्पो0 संख्या 2/5 एवं 2/6 नाबालिग जरिये माता रेस्पो0 श्रीमती रेखा, समस्त जाति रेगर, नि0 ठीकराना मेन्द्रातान, साईनाथ कॉलोनी के पीछे, ब्यावर जिला अजमेर ।
3. रूपचंद पुत्र तिलोक, जाति रेगर, निवासी ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती राधा पुत्री स्व0 तिलोक पत्नि सुखदेव, जाति रेगर, निवासी ग्राम गणेशपुरा, आई0टी0आई0 के पीछे, गंगा कॉलोनी, ब्यावर, जिला अजमेर।
5. श्रीमती रूकमा पुत्री स्व0 तिलोक पत्नि तुलसा, जाति रेगर, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, ब्यावर ।
7. उप पंजीयक, ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 12.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 83/2012.

उपस्थितः—

1. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील अपीलांट।
2. श्री समीर अहमद खान, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2/1 से 2/4.
3. श्री सलीम मोहम्मद, वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 से 8.

निर्णय

दिनांकः— 29.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावार के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वादपत्र में वर्णित आराजियात बाबत् पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 की पुश्तैनी आराजियात चली आ रही है तथा उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार अपीलांट के पिता तिलोक थे । वाद पत्र में पारिवारिक सजरा अंकित कर आगे कथन किया कि वादवर्णित आराजियात में अपीलांट का 1/6 हिस्सा चला आ रहा है तथा अपीलांट भी उक्त भूमियों में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार होकर काश्त करती चली आ रही है । खातेदार तिलोक के स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने वास्तविक तथें को छिपाते हुए राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमियां अपने व अपनी माता श्रीमती मानी के नाम अंकित करवा दी जबकि उक्त भूमियों में रेस्पो0 संख्या 1लगायत 3 व श्रीमती मानी के साथ अपीलांट/वादी एवं रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के नाम भी अंकित होना आवश्यक था किन्तु उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं किया गया । तत्पश्चात् श्रीमती मानीदेवी के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के नाम विरासती नामांतकरण संख्या 741 दिनांक 19.10.20014 को खोला गया है किन्तु विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम अंकित हो रखी है इस कारण रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 की नियत खराब हो गई है तथा गलत एवं गेर कानूनी रूप से उस पर नाजायज कब्जा करके अन्य को विक्रय करने पर आमदा है जिसका उन्हें कानूनन कोई हक या अधिकार नहीं है । अतः वाद वादी/अपीलांट स्वीकार कर वादिया को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादिया का हिस्सा अलग घोषित किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 1 व 3 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर वादिया/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 का निर्णय न तो न्यायसंगत है और न ही नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुकूल है । चूंकि अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण, अनुचित एवं अवैध होने के साथ–साथ तर्कपूर्ण विधिक एवं न्यायोचित कारणों व आधारों से भी न केवल रहित है वरन् अनियमित कार्यवाही का परिणाम है । उक्त प्रकरण में दिनांक 29.3.2016 की तारीख पेशी नियत थी, जिस दिवस को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.7.2016 नियत की गई थी । जिससे स्पष्ट है कि उक्त पत्रावली दिनांक 12.5. 2016 को अधी0न्याया0 में नियत नहीं थी बल्कि तारीख पेशी के पूर्व राजस्व कैम्प में लोक अदालत के तहत मात्र पक्षकारान के मध्य समझौता

की वार्ता कराने तथा समझौता होने की स्थिति में पत्रावली का समझौता के आधार पर निस्तारण कराने हेतु नियत कर दी गई थी । कैम्प कोर्ट में मात्र समझौते के तहत ही कार्यवाही की जा सकती थी न कि अन्य कार्यवाही । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 में पत्रावली लोक अदालत में नियत होने के बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 व 3 द्वारा गलत एवं विधिविरूद्ध रूप से आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने लोक अदालत में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व ही मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 2 उदाराम का स्वर्गवास हो गया था इस कारण उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना उसके पक्ष में कानूनन निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 1 से 5 आपस में सगे भाई बहन है तथा उन्हें उक्त उदाराम के स्वर्गवास की प्रारंभ से ही जानकारी थी इसके बावजूद उनके द्वारा उसकी मृत्यु बाबत् अधी0न्याया0 को सूचना नहीं दी गई । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में पिता की संपतियों में पुत्रियों का हक अधिकार नहीं होना माना है । जबकि धारा 40 राज0टिनेन्सी एक्ट एवं भारतीय उत्तराधिकार अधि0 में भी यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि पिता की संपति में उसकी पत्नि के साथ साथ उसके पुत्रों व पुत्रियों का बराबर बराबर हक अधिकार विद्यमान होता है । उन्हें कानूनन उनके हक व अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है ं इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 2988 पेज 244 जगदीश बनाम मनभरी एवं 1977 आर0आर0डी0 पेज 232 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 3 ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश ।7 नियम 11 जा0दी0 के तहत पेश किया था जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये थे, वह आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते है । वादग्रस्त आराजियात अपीलांट एवं रेस्पो0 की पुश्तैनी आराजियात है । अपीलांट स्व0 तिलोक की जायंदा पुत्री संतान होने से भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1956 कीर धारा 8 के अनुसार वैधानिक रूप से उत्तराधिकार एवं वारिस चली आ रही है जिसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है । रेस्पो0 ने जो ऐतराज प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में उठाये थे उनके संबंध में वाद में विवाद बिन्दु कायम किया जाकर बाद साक्ष्य सुनवाई निर्णित किया जा सकता था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर वाद को तकनीकी आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादिया का वाद पुनः रेस्टोर किया जाकर पुनः नंबर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2/1 से 2/4 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता की मृत्यु 1980 में हो गई थी । मान0 उच्चतम न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 में संशोधन करते हुए वर्ष 2005 से पूर्व जिसके पिता की मृत्यु हो गई है, जिसमें पुत्रियों को किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं दिया गया है । उक्त प्रावधान के अनुसार अपीलांट को विवादित आरायिजात में कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 विधिसम्मत् रूप से स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । वादिया/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजियात पुश्तैनी होने का कथन कर वादवर्णित आराजियात में 1/6 हिस्सा होने का कथन खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किये जाने के उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 व 3 ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि खातेदार तिलोक की मृत्यु सन् 2005 से पूर्व 1980 में होने से पुत्रियों को पिता की संपति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसलिये वाद संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादिया/अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किया है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट का हाजा न्यायालय के समक्ष दौराने बहस यह भी कथन रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद में प्रतिवादी संख्या 2 की वाद के विचाराधीन रहते मृत्यु हो गई थी किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है तथा वाद को लोक अदालत कैम्प में रखकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है प्रकरण में दिनांक 29.3.2016 की तारीख पेशी नियत थी, जिस दिवस को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.7.2016 नियत की गई थी किन्तु नियत दिनांक 25.7.2016 से पूर्व पत्रावली को दिनांक 12.5.2016 लोक अदालत कैम्प मे रखा गया तथा इस दिन रेस्पो0 संख्या 1 व 3 द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया जिसे अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उक्त आवेदन पत्र स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज किया है । रेस्पो0 ने अपने आवेदन पत्र में जो ऐतराज उठाये है उस संबंध में अधी0न्याया0 को चाहिये था कि वाद में विवाद बिन्दु कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करते । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नही होता है कि अधी0न्याया0 ने वादिया आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के किस प्रावधान के तहत वादिया का वाद खारिज किया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारान के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 में वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 2 उदाराम की मृत्यु हो गई थी किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक के खिलाफ अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.5.2016 एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज योग्य पाये जाते है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.5.2016 एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन

निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में मृतक प्रतिवादी संख्या 2 उदाराम के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही कर, प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर, वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर